पत्र संख्या–6/योजना–01–62/2018 गृ0आ0........................./

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक मार्च, 2017

विषयः– राज्य के 61 जिला एवं अनुमंडल स्तरीय न्यायालयों के सुरक्षा हेतु CCTV कैमरा अधिष्ठापित करने के लिए कुल प्राक्कलित राशि ₹ 7238.00 लाख (बहत्तर करोड़ अंड़तीस लाख रू0) मात्र की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 7238.00 लाख (बहत्तर करोड़ अंड़तीस लाख रू0) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति तथा राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं अनुवर्त्ती वर्षो में करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के 61 जिला एवं अनुमण्डल स्तरीय न्यायालय की सुरक्षा हेतु CCTV कैमरा अधिष्ठापित करने हेतु बेल्ट्रॉन द्वारा तैयार किये गये DPR के अनुसार कुल प्राक्कलित राशि ₹ 7238.000 लाख (बहत्तर करोड़ अड़तीस लाख रू0) मात्र की नयी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 7238.00 लाख (बहत्तर करोड़ अंड़तीस लाख रू0) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति तथा राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं अनुवर्त्ती वर्षो में करने की स्वीकृति दी जाती है। DPR के अनुसार मदवार निम्नांकित रूप से राशि का व्यय किया जाना है :–

Sl.	Project Components	Estimated cost (In Lakh)
1.	CCTV Camera Hardware	1718.60
2.	Network Hardware	803.52
3.	Site preparation (OFC laying charges, electrical work, furniture, earthling, lightening arrester, pole)	599.18
4.	Storage	888.34
5.	UPS & Stabilizer	426.00
6.	Monitoring Center in Court	638.19
7.	Connectivity Cost for camera monitoring	255.96
8.	Centralized Monitoring Center (CMC)	48.27
9.	Manpower Cost at CMC for five years	73.26
10.	Manpower Cost at individual district and sub courts	1117.23
11.	Consulting Charges	257.62
	Sub Total	**6826.17**
12.	Beltron Margin on Sub Total Value as per latest notification from Government of Bihar	358.30
13.	Service Tax @15% on Beltron Margin	53.745
	Grand Total in Lakh	7238.22
	Grand Total in Crore	**72.38**
		(Seventy Two Crore Thirty Eight Lakh)

राधा
–नं0/17

2. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 7238.00 लाख (बहत्तर करोड़ अंड़तीस लाख रू0) मात्र राज्य योजनान्तर्गत मांग संख्या–22 के बजट मुख्यशीर्ष–2055–पुलिस–उप मुख्यशीर्ष–00–लघु शीर्ष–115–पुलिस बल का आधुनिकीकरण–उपशीर्ष–0102–पुलिस प्रशासन एवं ढ़ाँचागत सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु–विषयशीर्ष–52 01–मशीने एवं उपस्कर विपत्र कोड–P2055001150102 राज्य योजना स्कीम कोड–HOM–5416 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में **तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से** बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपर्युक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. राशि की निकासी कर बेल्ट्रॉन के पी0एल0 खाते में जमा किया जायेगा तथा सी0सी0टी0भी0 अधिष्ठापित करने का कार्य बेल्ट्रॉन द्वारा किया जायेगा।

5. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

6. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

8. उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

10. बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली–2005 के अनुसार निविदा के पश्चात् वास्तविक दर का निर्धारण एवं अधियाचना के अनुसार शेष राशि अलग से विमुक्त की जायेगी।

11.प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका सं0–6/योजना–01–62/2016गृ0आ0 के पृ0–13/टि0 पर दिनांक–15.03.2017 को प्राप्त है।

12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–6/योजना–01–62/2016गृ0आ0 के पृ0–14/टि0 पर दिनांक–21.03.2017 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/–

(राधा नन्दन प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0 :–6/योजना–01–62/2016गृ0आ0 2535 /पटना, दिनांक 27 मार्च, 2017

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन, बिहार, पटना/विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव